अभिषेक प्रिंटर्स, डूंगला - 9413403527

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ मुकाम डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़

कालु बनाम ॐकार

मुकदमा नं. .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय अतिसंक्षिप्त अवलोकन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के जवाब हेतु अवसर चाहा जो दिया गया पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र 7(11) मे दिनांक 7/8/25 को पेश हो। 01/07/25	
7/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश हुआ नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7(11) मे दिनांक 18/8/25 को पेश हो। 7/08/25	
18/8/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चूण्डावत एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का पेश कर अवगत कराया गया कि वादी द्वारा उक्त अनवाद का प्रकरण वादी द्वारा न्यायालय आप मे पेश किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 243/2010 इस न्यायालय में इन्ही आराजियात बाबत प्रतिवादी ॐकार के पिता व श्यामु बाई के पति रामलाल के खिलाफ इसी वादकारण को लेकर प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 20.1.20[illegible] निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति [illegible] वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध [illegible] स्वीकृति के पेश किया गया है जो न्यायालय [illegible] चलने योग्य नहीं है। प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:31:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

6

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.दी. की प्रति वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.दी. का जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 का जवाब यह है कि प्रकरण संख्या 243/2010 दिनांक 20.1.2012 को आंशिक रूप से वादी के पक्ष में डिक्री किया गया कि प्रतिवादी पक्ष को वादग्रस्त आराजी संख्या 147 पर वादी के कब्जे काश्त में दखल एवं बाधा पैदा नहीं करने हेतु पाबंद किया गया था तत्पश्चात से वादी का कब्जा चला आ रहा है। इसलिए वादी प्रतिकूल कब्जे के अनुसार (आधार) पर खातेदारी की घोषणा कराने की मांगती है जो पृथक वादकरण के आधार पर होकर वादी का कब्जा परिपक्व हो गया है होने से खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाने के आधार पर घोषणा का दावा किया गया अतः न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किया जावे। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.दी. का पेश किया जाने से जवाब की प्रति वकील प्रतिवादी को दिलाई गई। तत्पश्चात पत्रावली को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.दी. की बहस हेतु पत्रावली नियत की गई वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात पाया गया कि वादी द्वारा दिनांक 21.6.1993 को 30,000/- रुपये अक्षरे तीस हजार रुपये में क्रय करना बताया [illegible] में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। तथा [illegible] वर्णित आराजी नम्बर 147 के सम्बन्ध में वादी [illegible] न्यायालय में [illegible] आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया जो दिनांक 20.1.2012 को डिक्री होकर डिक्री हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.दी. प्रतिवादी का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:31:00 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़

कालु बनाम ऊंकार लाल

किस्म मुकदमा वादपत्र धारा 88 RTA नं. 68/2021 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश 7 नियम 11 आ.दी. का स्वीकार होने से वादपत्र में कार्यवाही को इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि निर्णय दिनांक 20.1.2012 की पालना में वादी को मौजा पालोद की आराजी नम्बर 147 में वादी के कब्जे काश्त से बिना विधिक तरीका अपनाये बेदखल नहीं किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	

Scanned with OKEN Scanner